FROM : FAX NO. : 5 Jul. 2014 1:11PM P4

(91)

संख्या– 1717 /XV-1/13/1(4)/12

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 03 ~~अक्टूबर~~ दिसम्बर, 2013

विषयः बकरी पालन, भेड़ पालन एवं गौपालन राज्य सैक्टर नई योजनान्तर्गत पशुपालक लाभार्थी चयन प्रक्रिया तथा अनुदान दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1081/नि०–5/एक(26)/आ०व्य०/2013–14 दिनांक 01 जून, 2013 के सन्दर्भ में चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में बकरी पालन, भेड़ पालन एवं गौ पालन राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने एवं पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से बकरी पालन/भेड़ पालन एवं गौ पालन की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसमें बकरी पालन/भेड़ पालन योजनान्तर्गत 10 मादा एवं 01 नर तथा गौ पालन योजनान्तर्गत चतुर्थ ब्यात या इससे कम ब्यात की दुधारू गाय उपलब्ध करायी जायेगी। इच्छुक पशुपालक से प्रति इकाई की कुल लागत का 10 प्रतिशत अंश लिया जायेगा तथा 90 प्रतिशत अंश विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रकार अधिक लाभार्थियों को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा। योजना निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रति इकाई कुल लागत	सरकार का अंश	लाभार्थी अंश	कुल इकाइयाँ	
					अनु० जाति	अनु० जनजाति
1.	बकरी पालन	70000	63000	7000	74	06
2.	भेड़ पालन	70000	63000	7000	39	04
3.	गौ पालन	40000	36000	4000	376	40

2. बकरी पालन, भेड़ पालन एवं गौपालन योजना के सफल संचालन हेतु लाभार्थियों के चयन, चयन प्रक्रिया, पशु क्रय, क्रय समिति, पशु बीमा, प्रति इकाई लागत निम्नानुसार निर्धारित होगी :–

(अ) **लाभार्थियों के चयन हेतु विकास खण्ड स्तरीय समिति :–**

1. जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि
2. पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1.
3. खण्ड विकास अधिकारी/उनके द्वारा नामित सहायक खण्ड विकास अधिकारी

(ब) **लाभार्थियों के चयन हेतु ग्राम स्तरीय चयन समिति :–**

1. संबंधित क्षेत्र के पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1/ग्रेड–2
2. संबंधित क्षेत्र का पशुधन प्रसार अधिकारी
3. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

(स) चयन की प्रक्रिया :–

संबंधित ग्राम के अनुसूचित जाति/जनजाति के बी०पी०एल० परिवार के व्यक्तियों का ग्राम स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन किया जायेगा। ऐसे परिवार, जिनकी मुखिया महिला हो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। पशुधन प्रसार अधिकारी ग्राम में चयन हेतु बैठक की निर्धारित तिथि/समय का व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे। निर्धारित तिथि को ग्राम में ग्राम स्तरीय चयन समिति की बैठक करके लाभार्थियों का चयन किया जायेगा व सूची संबंधित पशु चिकित्साधिकारी को प्रेषित की जायेगी। विकास खण्ड स्तर पर चयन समिति सभी लाभार्थियों के प्रस्ताव पर विचार कर अन्तिम चयन सूची तैयार करेगी।

(द) पशु क्रय समिति :–

1. संबंधित क्षेत्र का पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2
2. पशुधन प्रसार अधिकारी
3. लाभार्थी

(य) लागत प्रति इकाई :–

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	बकरी पालन		भेड़ पालन		गौपालन	
	विवरण	धनराशि	विवरण	धनराशि	विवरण	धनराशि
1	दस मादा बकरियों का क्रय मूल्य	45000	दस मादा भेड़ों का क्रय मूल्य	45000	दुधारू गाय (चतुर्थ व्यात या उससे कम व्यात) का क्रय मूल्य	30000
2	एक नर बकरे का क्रय मूल्य	6000	एक नर मेढ़े का क्रय मूल्य	6000	दो माह हेतु दाना क्रय पर व्यय	3000
3	पशु यातायात एवं पशु बीमा पर व्यय	11000	पशु यातायात एवं पशु बीमा पर व्यय	11000	पशु यातायात एवं पशु बीमा पर व्यय	7000
4	बकरियों हेतु बाड़ा निर्माण हेतु सहायता	8000	भेड़ बाड़ा निर्माण हेतु सहायता	8000	—	00.00
योग		70000		70000		
सरकार का अंश		63000		63000		40000
लाभार्थी अंश		7000		7000		36000
						4000

(ल) पशु क्रय :–

यदि विभागीय प्रक्षेत्रों अथवा यू०एल०डी०बी० के प्रक्षेत्रों में पशु संख्या से अधिक उपलब्ध हों तो योजनान्तर्गत पशुपालक को सर्वप्रथम विभागीय अथवा यू०एल०डी०बी० के प्रक्षेत्रों से पशु उपलब्ध कराया जायेगा। विभागीय अथवा यू०एल०डी०बी० के प्रक्षेत्रों पर पशु उपलब्ध न होने पर पशुओं का क्रय स्थानीय प्रगतिशील कृषकों से किया जायेगा। यदि स्थानीय तौर पर अच्छा पशु उपलब्ध न हो तो प्रदेश के अन्य जनपदों से पशु क्रय किये जायेंगे। योजनान्तर्गत लाभार्थियों को लगभग 10 से 14 माह की क्रासब्रीड बकरियाँ व बकरा/भेड़ व मेढ़ा/चतुर्थ या उससे कम व्यात की दुधारू गाय उपलब्ध करायी जायेगी। पशुओं का क्रय लाभार्थी एवं क्रय समिति द्वारा प्रदेश एवं आवश्यकतानुसार किया जायेगा। क्रय से पूर्व पशुओं का चिकित्सीय परीक्षण अवश्य किया जायेगा तथा संबंधित पशु चिकित्साधिकारी द्वारा पशु क्रय स्थल पर पशु के पूर्ण स्वस्थ होने संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

(र) पशु बीमा :-

योजनान्तर्गत क्रय किये गये पशु का तीन वर्ष हेतु बीमा किया जायेगा। पशु बीमा क्रय स्थल पर ही संबंधित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा निर्धारित बीमा कम्पनी से कराया जायेगा।

3. कृपया बकरी पालन, भेड़ पालन एवं गौ पालन राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन एवं अनुदान दिये जाने हेतु उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या- 1717 (1)/XV-1/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डी०एम०एस० रावत)
अनु सचिव